अनुसूची 14-फारम सं0-562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....**सहरसा**....., सं0.....**119**....., सन्**2022**.....

केस का प्रकार.....**आर्बिट्रेशन**.....**(श्री लाल शर्मा बनाम राज्य)**.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
28.10.2026	NHAI एवं राज्य उपस्थित। आवेदक अनुपस्थित हैं। उल्लेखनीय है कि आवेदक सुनवाई हेतु निर्धारित विगत (10) दस सात तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। आज भी आवेदक द्वारा इस वाद में कोई पैरवी नहीं किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 107 परियोजना अधिग्रहित भूमि मौजा खाता नं0-732, खेसरा सं0-3485 एवं खाता सं0-733, खेसरा सं0-3486 नया-6604, रकवा- 0.436 डी0 (01 कट्ठा) के किस्म को कृषि से आवासीय श्रेणी में सम्परिवर्त्तन हेतु दायर किया गया है। विपक्षी (DLAO एवं NHAI) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा दायर वाद लगभग 04 वर्ष बीत जाने के कारण कालबाधित रहने के कारण पाषोणीय नहीं है। NH Act-1956 की धारा-3A के तहत दिनांक-06.05.2015 एवं धारा-3D के तहत दिनांक-02.05.2016 प्रकाशित अधिसूचनिा एवं अधिघोषणा के अनुसार खेसरा सं0-3485 का किस्म/ प्रकृति 'आवासीय' दर्ज है। साथ ही आवेदक द्वारा NH Act-1956 की धारा-3A के तहत दिनांक- 06.05.2015 को प्रकाशित अधिसूचना निर्गत होने के 21 दिनों के अन्दर NH Act-1956 की धारा-3C(1) के तहत आपत्ति आवेदन नहीं दिया गया। आवेदक द्वारा दायर वाद Six Men Committee के सदस्य यथा अपर समाहर्त्ता, सहरसा एवं अवर निबंधक, सहरसा को आवश्यक पक्षकारों में सम्मिलित नहीं किए जाने के कारण (Non-joinder of necessary parties) के दोष से ग्रसित है। आवेदक द्वारा अपने दावा के समर्थन में वर्णित भूमि को सक्षम प्राधिकार से आवासीय भूमि के श्रेणी में Conversion से संबंधित साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। समाहर्त्ता, सहरसा के पत्रांक-414-2/ भू0अर्ज0, दिनांक-11.09.2018 द्वारा गठित उचित प्रतिकर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा मौजा-चैनपुर/135 अन्तर्गत स्थल निरीक्षोपरांत समिर्पत प्रतिवेदन में खेसरा सं0-3485 के भूमि का किस्म/प्रकृति 'कृषि' दर्ज है। सहरसा को स्थल निरीक्षोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में अधिग्रहित भूमि के मुआजवा राशि भुगतान हेतु दिनांक-27.05.2019 को नोटिस निर्गत किया गया। तद्लोक मं विपक्षी (DLAO एवं NHAI) द्वारा उनकी ओर से दाखिल जवाब के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा समर्पित दस्तावेज तथा विपक्षी (DLAO एवं NHAI) द्वारा दाखिल जवाब व अभिलेखों के आलोक में आवेदक के भूमि के किस्म के अनुरूप देय मुआवजा राशि का भुगतान संगत नियमों के आलोक में नोटिस निर्गत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य इस न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके की अधिघोषणा के पूर्व उनकी प्रश्नगत भूमि का उपयोग व्यवसायिक प्रयोजनों से हो रही थी एवं उनके द्वारा इस संदर्भ में ससमय आपत्ति दाखिल किया गया था।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा

28.10.2026

फलस्वरूप प्रासंगिक मामले में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा घोषित आवार्ड उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

आयुक्त
-सह-आर्बिट्रेटर,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त
-सह-आर्बिट्रेटर,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त न्यायालय
कोशी प्रमण्डल, सहरसा
सत्यमेव जयते